न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

पीठासीन अधिकारीः– सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः–13 / 2024

प्रार्थीः–

केशाराम बामणिया पुत्र रामाराम जाति मेघवाल निवासी मेघवालो का वास, मोतीसरा तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगणः–

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना
2. जूजाराम पुत्र रामाराम जाति मेघवाल निवासी मोतीसरा
3. पुरीदेवी पत्नी रामाराम जाति मेघवाल निवासी मोतीसरा
4. भंवरलाल पुत्र रामाराम जाति मेघवाल निवासी मोतीसरा
5. हेमाराम पुत्र रामाराम जाति मेघवाल निवासी मोतीसरा
   तहसील सिवाना जिला बालोतरा
6. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई बैंक शाखा, मोकलसर तहसील सिवाना

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अधिनियम हेतु दुरूस्ती</u>

उपस्थितः–

1. श्री लादाराम अधिवक्ता प्रार्थी
2. विप्रार्थीगण एकपक्षीय

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 13.01.2025

प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन पत्र रा.भू.अ. की धारा 136 के तहत पेश किया गया है, संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 212, 618/1, 623/1 व 638/4 कुल रकबा 08.9354 हैक्टेयर ग्राम जूनाखेडा मोतीसरा व खसरा संख्या 626/479, 628/102, 631/263, 635/407, 636/409 व 640/421 कुल रकबा 05.6575 हैक्टेयर ग्राम मोतीसरा तहसील सिवाना में अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। प्रार्थी के अन्य समस्त दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, बैंक डायरी व जन आधार कार्ड आदि में उसका वास्तविक नाम ''केशाराम बामणिया'' दर्ज है किन्तु विवादित भूमियों के राजस्व रेकर्ड में में त्रुटिवश प्रार्थी का नाम ''केशाराम'' अंकित कर दिया। इस प्रकार अशुद्ध नाम अंकित होने से प्रार्थी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा) सत्यमेव जयते

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी की गई। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.02.07 18:00:27 IST
Reason: Self Attested

तहसीलदार सिवाना के पत्र क्रमांक भू.अ./2024/3193 दिनांक 4.12.2024 द्वारा प्रार्थी के वास्तविक नाम के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की। प्रार्थी ने

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम पंचायत मोतीसरा द्वारा जारी प्रमाण पत्र, जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, पेनकार्ड आदि प्रस्तुत किये ।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी की बहस है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम ''केशाराम बामणिया'' है, किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित भूमि तहसील सिवाना के ग्राम जूनाखेडा मोतीसरा के खसरा संख्या 212, 618/1, 623/1 व 638/4 व ग्राम मोतीसरा के खसरा संख्या 626/479, 628/102, 631/263, 635/407, 636/409 व 640/421 के राजस्व रेकर्ड में ''केशाराम'' त्रुटिवश लिख दिया जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया। ग्राम पंचायत मोतीसरा द्वारा जारी प्रमाण पत्र, जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, पेनकार्ड में प्रार्थी का नाम ''केशाराम बामणिया'' दर्ज है, किन्तु विवादित भूमियों में प्रार्थी का नाम ''केशाराम'' दर्ज करने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट से भी प्रार्थी का वास्तविक नाम ''केशाराम बामणिया'' होने की पुष्टि होती है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसील सिवाना के ग्राम जूनाखेडा मोतीसरा के खसरा संख्या 212, 618/1, 623/1 व 638/4 कुल रकबा 08.9354 हैक्टेयर व ग्राम मोतीसरा के खसरा खसरा 626/479, 628/102, 631/263, 635/407, 636/409 व 640/421 कुल रकबा 05.6575 हैक्टेयर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम ''केशाराम''' के स्थान पर ''केशाराम बामणिया'' दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। **तहसीलदार सिवाना को प्रार्थी द्वारा बैंक का अनापत्ति प्रमाण पत्र/रहन मुक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात तदनुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।**

आदेश आज दिनांक 13.01.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.02.07 18:00:27 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)
सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)